

17/3/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक सघ द्वारा काय स्थगित रखा है
अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयदा दिनांक 19.6.20 को प्रस्तुत हो।

परिपत्र सं-4 की वक्त से न्यायालय के सिविल
की राधेश्याम लाल ने प्रेम किया।

15/20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय
राजस्थान मंडल अजमेर के परिपत्र
क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020
की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम
हेतु न्यायालय को कार्यवाही स्थगित रखी
गई। पत्रावली आयदा दिनांक 19.6.20
को पेश हो।

19/8/20

पत्रावली प्रस्तुत की गई। माननीय
राजस्थान मंडल अजमेर के परिपत्र
क्रमांक सं-4340 दिनांक 18.03.2020
की पालना में कोरोना वायरस की रोकथाम
हेतु न्यायालय को कार्यवाही स्थगित रखी
गई। पत्रावली आयदा दिनांक 24.8.20
को पेश हो।

21/7/20

आज यह पत्रावली साक्षीगण के हाथ उप
खेने पर पेशी में ली गई। साक्षीगण ने
साठ पत्र इस प्रमाण का प्रेम किया कि
दस्तावेज वाद में हम पक्षकार का
जो क प्रदाता की प्रमाण ले राकीनामा हो
गया है व वाद में कोई कार्यवाही नहीं चल
है।

राधेश्याम लाल
लोकेश
पञ्चानन कर्मा
राधेश्याम लाल
19/5

अतः साक्षीगण के हाथ उप
काचार पर वाद-गोदी ली पर पर
संक्षिप्त किया जाता है पत्रावली
निपटानुसार दाखिल करता है नमक
ले कर हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़